

संचिका संख्या-01/C.L.-10-05/2026, श्र०सं०....5990
बिहार सरकार
श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग

प्रेषक,

राजेश भारती, भा०प्र०से०
श्रमायुक्त, बिहार।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
गोपालगंज एवं पूर्णियाँ।

पटना, दिनांक- 5/10/26

विषय:- विमुक्त बाल श्रमिकों को मुख्यमंत्री राहत कोष से राशि उपलब्ध कराने के संबंध में।
महाशय

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि दिनांक-12 जून, 2016 को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री ने बाल श्रम से विमुक्त कराये गये एवं CLTS में दर्ज बाल श्रमिकों को मुख्यमंत्री सहायता कोष से रु० 25,000 प्रति विमुक्त बाल श्रमिक उपलब्ध कराने की घोषणा की थी, जिसके आलोक में मुख्यमंत्री राहत कोष से षष्ठम किस्त की राशि प्राप्त हो चुकी है। उक्त राशि प्रत्येक विमुक्त बाल श्रमिक के नाम से उनके 18 वर्ष की उम्र प्राप्त होने तक Fixed Deposit (FD)/Annuity Scheme में निवेशित की जायेगी, जिससे प्राप्त सूद/ब्याज की राशि प्रति माह उनके बैंक खाते में प्राप्त होगी, जिसका वे आवश्यकतानुसार सदुपयोग कर सकेंगे। FD की अवधि इस तरह से रखना है कि अधिकतम लाभ मिले एवं 18 वर्ष की उम्र तक Auto renewal होती रहे। 18 वर्ष की उम्र पूर्ण करने के उपरांत पूरी राशि बाल श्रमिक को प्राप्त हो सकेगी।

सम्प्रति कतिपय कारणों से CLTS पोर्टल के क्रियाशील नहीं रहने के कारण विमुक्त बाल/किशोर श्रमिकों का विवरण पोर्टल में अपलोड नहीं हो पा रहा है। सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि CLTS पोर्टल के क्रियाशील होने तक सभी पात्र विमुक्त बाल/किशोर श्रमिकों को जिलाधिकारी के प्रतिवेदन के आधार पर रु० 25,000/- के Annuity Scheme का लाभ इस शर्त के साथ दिया जाय कि CLTS पोर्टल के क्रियाशील होने पर बाल/किशोर श्रमिकों से संबंधित सभी आवश्यक प्रविष्टियाँ अविलम्ब कर ली जायेगी।

क्र० सं०	जिला	Child ID No.	बाल श्रमिक का नाम	विमुक्ति की तिथि	अभियोजन/ एफ०आई०आर०
1	गोपालगंज	---	राजा कुमार	30.03.2026	345/26
2		---	रोहित कुमार	26.05.2026	136/26
3		---	नीरज कुमार	09.09.2026	902/26
4	पूर्णियाँ	---	विपेस कुमार	17.03.2026	64/26
5		---	नितीश कुमार	30.04.2026	44/26
6		---	साकिब आलम उर्फ साकिब अंसारी	20.05.2026	249/26
7		---	गौरव कुमार	26.05.2026	144/26
8		---	तनवीर आलम	28.07.2026	104/26

उपर्युक्त विवरणी के आलोक में विमुक्त बाल श्रमिकों हेतु मुख्यमंत्री राहत कोष से @25,000/- प्रति बाल श्रमिक के दर से जिलावार निम्न प्रकार से भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

जिला	खाताधारी का पदनाम	खाता संख्या	IFSC कोड	बाल श्रमिकों की संख्या	बाल श्रमिकों की सं० एवं अनुमान्य राशि	राशि रुपये में	जिलाधिकारी/ श्रम अधीक्षक द्वारा प्रेषित अधियाचना का विवरण
गोपालगंज	जिला पदाधिकारी, गोपालगंज	36368731403	SBIN0005971	03	03@25000	75,000/-	पत्रांक-1424, दिनांक-25.09.2026
पूर्णियाँ	जिला पदाधिकारी, पूर्णियाँ	36458436620	SBIN0000159	05	05@25000	1,25,000/-	पत्रांक-1697, दिनांक-26.09.2026
कुल				08	08@25000	2,00,000/- (दो लाख)	

राशि के उपयोग के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग को शीघ्र उपलब्ध कराने की भी कृपा की जाय। भुगतान करने के पूर्व अच्छी तरह से जाँच कर लिया जाय कि विमुक्त बाल श्रमिकों को पूर्व में राशि का भुगतान नहीं किया गया है।

विश्वासभाजन

A Singh
(राजेश भारती)
श्रमायुक्त, बिहार

ज्ञापांक:-01/C.L.-10-05/2026, श्र०सं०..... 5990 पटना, दिनांक- 5/10/26

प्रतिलिपि:-श्रम अधीक्षक/श्रम अधीक्षक (अधिनियम), गोपालगंज एवं पूर्णियाँ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेश दिया जाता है कि विमुक्त बाल श्रमिकों को यथाशीघ्र राशि उनके खाते में अंतरित कराना सुनिश्चित करें साथ ही इस कार्य में जिलाधिकारी को अपना पूर्ण सहयोग दें।

A Singh
श्रमायुक्त, बिहार

ज्ञापांक:-01/C.L.-10-05/2026, श्र०सं०..... 5990 पटना, दिनांक- 5/10/26

प्रतिलिपि:-आई०टी० मैनेजर, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

A Singh
श्रमायुक्त, बिहार

ज्ञापांक:-01/C.L.-10-05/2026, श्र०सं०..... 5990 पटना, दिनांक- 5/10/26

प्रतिलिपि:-शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन, शाखा बेली रोड, पटना।

आपको निदेश दिया जाता है कि आप Secretary to Labour Commissioner के खाता सं०-36274069859 को उपरोक्त विवरणी के अनुसार RTGS/NEFT के माध्यम से राशि को Debit कर संबंधित खातों में Credit किया जाय।

Gurpreet Singh
(गणेश कुमार झा)
श्रमायुक्त के सचिव